रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 1991/श्रावण 4, 1913
No. 277] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 1991/SRAVANA 4, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1991

सा.का.नि. 507 (अ) :—महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उस धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनका उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. उक्त प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) (संशोधन) नियम, 1991 है ।

(2) ये राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1981 के नियम 3 में,—

(1) खंड (ii) में, "तीस रुपए" शब्दों के स्थान पर "साठ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

(2) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा,

अर्थात् :—

"परन्तु किसी कलैण्डर मास के दौरान आयोजित बोर्ड/और/या समिति के अधिवेशन की बाबत किसी न्यासी को संदेय फीस की कुल रकम किसी भी दशा में चार सौ रुपए से अधिक नहीं होगी" ।

[पी.आर–16011/1/90–पी.जी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

नोट : (i) मूल नियम सा.का.नि. 134 दिनांक 28-1-82 में प्रकाशित हुए ।

(ii) प्रथम संशोधन सा.का.नि. 797 (अ) दिनांक 18-7-88 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1991

G.S.R. 507(E).—The following draft of certain rules further to amend the Major Ports Trusts (Payment of Fees and Allowance to Trustees) Rules, 1991 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published as required by sub-section (2) of that section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry

of a period of forty-five days from the date on which copies of the said notification as published in the Gazette of India are made available to the public :

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

(1) These rules may be called the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) (Amendment) Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Rule 2 of the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1981.

(i) in clause (ii) for the words "Rupees thirty" the word "Rupees Sixty" shall be substituted.

(ii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely—

"Provided that the aggregate amount of fee payable to any Trustees in respect of the meeting of the Board and|or the Committees held during any calendar month shall not exceed rupees our hundred in any case".

[PR-16011|1|90-PG]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

FOOT NOTE : (i) Original Rules were published vide GSR 134 dated 28-1-82.

(ii) Ist amendment vide GSR No. 797(E), dated 18-7-1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991